


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या ..1403/2015जिला.....भरतपुर.....

उनवान - श्री बनवारीलाल पुत्र हरिशंकर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक भरतपुर व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री राजीव चौधरी -सदस्य</u></p> <p>प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री अशोक अग्रवाल द्वारा उक्त निगरानी विद्झा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो आज दिनांक 28.02.2017 को प्राप्त हुआ, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना का लाभ प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी यह निगरानी आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त निगरानी जरिये विद्झा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।</p> <p>विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा ने प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1403/2015/भरतपुर जरिये विद्झावल (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (राजीव चौधरी) सदस्य</p>	